2.18 वादी अभि. उप.। सम्मन तलबाना पेश हुआ। सम्मन दस्ती जारी किया गया। पत्रा वास्ते तलबी व जवाब स्टेट दि. 11.1.19 को पेश हो।

11.1.19 वादी अभिभाषक उप.। प्रतिवादी को सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ व जवाब स्टेट पेश हुआ। वादी अभिभाषक [illegible] पेश नहीं करना चाहते। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 18/1/19 को पेश हो।

18.1.18

पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस अंतिम
आगामी पेशी दिनांक 23.1.19
को पेश हो

23.1.19 उभय पक्ष उप.। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.2.19 को पेश हो।

22.2.19 उभय पक्ष उप.। वादीगण के वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया शामिल रहे। खाता विभाजन स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद सख्या :– /

1. बृजलाल आयु 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश आयु 55 वर्ष
3. श्योपतराम शर्मा आयु 54 वर्ष
4. इन्द्राज आयु 42 वर्ष

} पिसरान श्योलाल अकवाम ब्राह्मण निवासीयान रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: वादीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

उपस्थिति :–

1. प्रद्युमन सिंह परमार अधिवक्ता — वादीगण
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 22.2.19

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के नाम चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', पटवार हल्का हनुमानगढ के खाता सख्या 72/122, पत्थर नम्बर 130/232, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 19 ता 22, कुल किता 4 कुल किता 4 बीघा तादादी 1.012 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 130/233 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1, 2 कुल किता 2 तादादी 0.506 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 3, 8 ता 12, 19 कुल किता 7 तादादी 1. 771 हैक्टेयर (1.746 हैक्टेयर नहरी व 0.025 गैर मुमकिन खाला) इस प्रकार कुल किता 13 कुल क्षेत्रफल 3.289 हैक्टेयर (3.214 हैक्टेयर नहरी व 0.075 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला) एंव चक 3 आर. आर.डब्लयू.ए., पटवार हल्का नवा तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 103/149 पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 6, 7, 12 ता 19, 20, 22 ता 25 कुल किता 14 तादादी 3. 542 हैक्टेयर (3.442 हैक्टेयर नहरी व 0.100 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला) एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 132/226 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल किता 15 तादादी 3.795 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 132/227 मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 14, 17 ता 20 कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 3.542 हैक्टेयर (0.176 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला व 3.366 हैक्टेयर अनकमाण्ड) एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 131/227 मुरब्बा नम्बर 19 किल नम्बर 2 ता 9, 14 ता 16 कुल किता 11 तादादी 2.783 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 54 कुल क्षेत्रफल 13.662 हैक्टेयर (7.237 हैक्टेयर नहरी, 0.376 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला व 6.049 हैक्टेयर अनकमाण्ड) कृशि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें सह खातेदार रामनिवास द्वारा जरिये डिक्री अपना खाता अलग कायम करवा लिया है, जिसका नामान्तरण सख्या 895, दिनांक 13.07.2016 को जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है। दफा 2 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीगण का दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का संयुक्त खाता की कृषि भूमि का अर्सा पूर्व घराघरू विभाजन कर काबिज होकर उक्त संयुक्त खाता की भूमि में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी सख्या 1 बृजलाल को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 12, 13, 19, 22 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', पत्थर नम्बर 130/232, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 19 ता 22 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 130/233, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 व 2 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्या 2 औमप्रकाश को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 14 का 10 बिस्वा, 16 ता 18, 23 ता 25 एंव चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 3, 8, 9, 10 का 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। हिस्सा वादी सख्या 3 श्योपतराम शर्मा को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 6, 7, 14 का 10 बिस्वा, 15 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1, 10, 11 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 10 का 10 बिस्वा, 11, 12, 19 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्या 4 इन्द्राज को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादीगण ने दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का घराघरू विभाजन दफा 3 के अनुसार

(initials)

Scanned by CamScanner

3

किया हुआ है तथा घराघरू विभाजन के प्राप्त कृशि भूमि वादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे है परन्तु वादीगण का आपस में आये दिन सीव, बट व रकमराज को लेकर विवाद रहता है, जिस पर वादीगण ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को रास्ता, खाला की सुविधा पर दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार अपना खाता अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी से दफा 3 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का कब्जा काश्त एंव अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार खाता अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि अनुसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जरिए राज पैरोकार जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित कथनो का कोई विरोध नही किया।

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 3 आर.आर.डब्लयू'ए' खाता सख्या 103/149, खाता बृजलाल वगैरा, सम्वत 2073–76, जमाबन्दी चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी' खाता सख्या 72/122, खाता बृजलाल वगैरा, सम्वत 2073–76 आदि पेश की गई है।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि पक्षकारान हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में भाई वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हो गये है। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा के अनुसार खाता विभाजन करे एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किए जाने का निवेदन किया। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज है। वादीगण को घरू बंटवारा के अनुसार मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है, जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर खाता विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि वादी सख्या 1 बृजलाल को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 12, 13, 19, 22 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', पत्थर नम्बर 130/232, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 19 ता 22 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 130/233, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 व 2 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्या 2 औमप्रकाश को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 14 का 10 बिस्वा, 16 ता 18, 23 ता 25 एंव चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 3, 8, 9, 10 का 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। हिस्सा वादी सख्या 3 श्योपतराम शर्मा को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 6, 7, 14 का 10 बिस्वा, 15 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1, 10, 11 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 10 का 10 बिस्वा, 11, 12, 19 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्या 4 इन्द्राज को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.2.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद सख्ंया :— /

1. बृजलाल आयु 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश आयु 55 वर्ष
3. श्योपतराम शर्मा आयु 54 वर्ष
4. इन्द्राज आयु 42 वर्ष

} पिसरान श्योलाल अकवाम ब्राह्मण निवासीयान रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: वादीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण की ओर से श्री प्रद्युमन सिंह परमार की उपस्थिति में निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर खाता विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि वादी सख्ंया 1 बृजलाल को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 12, 13, 19, 22 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', पत्थर नम्बर 130/232, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 19 ता 22 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 130/233, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1 व 2 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्ंया 2 औमप्रकाश को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 14 का 10 बिस्वा, 16 ता 18, 23 ता 25 एंव चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 3, 8, 9, 10 का 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। हिस्सा वादी सख्ंया 3 श्योपतराम शर्मा को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 131/226, मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 6, 7, 14 का 10 बिस्वा, 15 एंव इसी चक के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1, 10, 11 व चक 3 आर.आर.डब्लयू.'बी', के पत्थर नम्बर 130/239, मुरब्बा नम्बर 47 किला नम्बर 10 का 10 बिस्वा, 11, 12, 19 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर। वादी सख्ंया 4 इन्द्राज को चक 3 आर.आर.डब्लयू.'ए'. के पत्थर नम्बर 132/226, मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23 कुल किता 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner